न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–125/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/125)

1. नगर पालिका पुष्कर, जरिए अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पुष्कर, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. देवा पुत्र स्व0 श्री भैरू पौत्र स्व0 श्री हनुता, मृतक जरिए वारिसानः–
   1/1 नारायण पुत्र स्व0 देवा
   1/2 करमा पुत्र स्व0 देवा
   1/3 गीता पुत्री स्व0 देवा
   1/4 सीता पुत्री स्व0 देवा
   1/5 प्रेम पुत्री स्व0 देवा
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम कानस, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।
2. हीरा पुत्र स्व0 श्री भैरू पौत्र स्व0 हनुता, जाति रावत निवासी ग्राम कानस, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।
3. मंगला उर्फ मंगल सिंह पुत्र स्व श्री भैरू पौत्र स्व0 श्री हनुता, जाति रावत निवासी ग्राम कानस, तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
4. जमनी पत्नी स्व0 श्री छोगा पुत्र वधु स्व0 श्री भोमा पौत्र वधु स्व0 श्री हनुता जाति रावत निवासी ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
5. प्रभु पुत्र स्व0 श्री छोगा पौत्र स्व0 श्री भोमा, जाति रावत निवासी ग्राम कानस, तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
6. बुद्धा पुत्र स्व0 श्री छोगा पौत्र स्व0 श्री भोमा, जाति रावत निवासी ग्राम कानस, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।

प्रत्यर्थी/वादीगण

7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पुष्कर, जिला अजमेर।
8. पटवारी पटवार हल्का कानस तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।
9. प्राधिकृत अधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण, जिला अजमेर।

प्रर्फोमा प्रत्यार्थी/प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 04/2018.</u>

उपस्थितः–

1. श्री शिशिर विजयवर्गीय अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री हसन खान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6
3. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7, 8
4. रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5 व 9 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–21.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 04/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यार्थी/वादीगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के समक्ष दिनांक 16.3.2018 को प्रस्तुत किया। उक्त वाद उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के न्यायालय में दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से दिनांक 8.6.2018 को वकालतनामा प्रस्तुत किया जिस पर पत्रावली को बकाया तलबी व जवाब हेतु दिनांक 8.8.2018 की पेशी नियत की गई। पत्रावली के अनुसार दिनांक 16.1.2019 को प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा दिनांक 08.02.2019 को वादी का वाद स्वीकार किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 04/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5 व 9 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा राजस्व वाद सं. 04 सन् 2018 उनवान श्रीमती धन्नी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 08-02-2019 के विरूद्ध एक अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसमें सफलता की पूर्ण आशा प्रार्थी को है। उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा दिनांक 06-02-2019 को उक्त वाद में निर्णय एवं डिक्री पारित की। उक्त प्रकरण में नगर पालिका पुष्कर के अधिवक्ता कुलदीप पाराशर रहे थे, जिनकी नियुक्त कार्यवाही आदेश की वृद्धि नहीं होने से उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में तत्समय कोई सूचना नगर पालिका को नहीं दी गई व न ही निर्णय की जानकारी दी गई। तत्पश्चात दिनांक 14-06-2019 को अधिवक्ता श्री सरफूद्दीन की नियुक्ति की गई। उनके द्वारा प्रकरणों की जानकारी करने पर प्रकरण में विचाराधीन होने की जानकारी दी गई तथा पत्रावली नहीं मिलने के कथन किये। पत्रावली पेशी पर नहीं आने तथा प्रकरण की स्थिति की वस्तुस्थिति प्राप्त करने हेतु दिनांक 04-11-2020 को नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 23-11-2020 से पूर्व उक्त प्रकरण निर्णित होने बाबत जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। जिसकी जानकारी दिनांक 23-11-2020 को सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त होने पर हुई, तब सर्वप्रथम अपीलार्थी को उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद व धारा 212 की पत्रावली में से वाद की पत्रवली को दिनांक 08-02-2019 को ही निरस्तारित कर दिया गया तथा धारा 212 की पत्रावली को दिनांक 18-12-2020 को वाद का निस्तारण हो जाने के आधार पर लगभग पौनें दो वर्ष बाद निस्तारित किया गया, जो विधिक प्रकिया का दुरूपयोग है। नकलें प्राप्त होने के पश्चात कार्यालय कार्यवाही व उसके पश्चात कोविड-19 के कारण न्यायिक कार्य स्थगित रहने से, अधिवक्ता की नियुक्ति कर अपील प्रस्तुत नहीं कराई जा सकी। तत्पश्चात प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर अभिलेख के साथ अधिवक्ता से सम्पर्क किये गया तथा पुनः लॉकडाउन लगने ये यह अपील अब प्रस्तुत की जा रही है। नगर पालिका, पुष्कर विधि अनुसार गठित निकाय है जो जनहित में कार्य करता है। उक्त विलम्ब निर्णय एवं डिक्री की जानकारी पूर्व में नहीं होने व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जानकारी के पश्चात विभागीय कार्यवाही में व कोविड–19 के कारण हुआ है, जो सद्भाविक है। अपील पूर्णतः सद्भाविक रूप से प्रस्तुत की जा रही है। अपील में वर्णित कारणों एवं आधारों पर प्रार्थी की अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। इसलिये उक्त अपील की प्रस्तुति में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। न्यायहित में प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण में दिनांक 11.1.2019 को प्रतिवादी संख्या 2 सरकार का जवाब दावा प्रस्तुत किया जाना अंकित किया गया। परंतु संपूर्ण पत्रावली की नकल चाहने पर ऐसे किसी जवाब दावे की प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसके पश्चात दिनांक 16.1.2019 को तनकीयात कायम किया जाना आदेशिका में अंकित है। परंतु तनकीयात की कोई प्रति भी संपूर्ण पत्रावली की नकल चाहने पर भी अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई। दिनांक 25–01–2019 को वादी से जिरह किया जाना आदेशिका में अंकित किया गया है परन्तु वादीगण का कोई साक्ष्य शपथपत्र या जिरह की प्रति सम्पूर्ण पत्रावली की नकल चाहे जाने पर भी अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई। दिनांक 30–01–2019 को प्रतिवादी से जिरह करने का आदेशिका में अंकित है, परन्तु प्रतिवादी का साक्ष्य शपथपत्र अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हुआ है एवं अभिलेख पर पटवारी कानस का कोई जवाब दावा भी नहीं है। उक्त गवाह के अतिरिक्त प्रतिवादीगण को कोई साक्ष्य का अवसर दिया जाना उल्लेखित

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

नहीं है। दिनांक 01-02-2019 को बिना सभी पक्षकारों की बहस सुने बहस अन्तिम सुने जाने का उल्लेख आदेशिका में किया गया एवं दिनांक 08-02-2019 को वाद को डिक्री कर दिया। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में न्यायिक प्रकिया को पूर्णतः नजरन्दाज कर जिस शीघ्रता से निर्णय किया गया है, उससे ही प्रकट है कि पीठसीन अधिकारी ने अपने में निहित न्यायिक अधिकारों का दुरूपयोग कर निर्णय एवं डिकी प्रत्यार्थी/वादी सं. 1 से 7 के पक्ष में पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के इस सुस्थापित सिद्धान्त की अवेहलना की है कि खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर प्रत्यार्थी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर भूल की है। इसलिये विवाद बिन्दु सं. 1 पर दिया गया निष्कर्ष त्रुटि पूर्ण है। इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल राजस्थान व उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त भी प्रतिपादित किये हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र में अपीलार्थी/प्रतिवादी सं. 3 विरूद्ध किस प्रकार बाद कारण उत्पन्न हुआ उसका अंकन नहीं किया है तथा वाद में उल्लेखित आदेश दिनांक 16-02-2012 व अजमेर विकास प्राधिकरण का नोटिस जो धारा 67 के अर्न्तगत जारी किया गया था, की नकलें प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं कराया गया है। इस प्रकार महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश नहीं की गई है। जिससे वाद में वाद कारण उत्पन्न होना भी साबित नहीं होता है। प्रत्यार्थी/वादीगण ने जानबूझकर वादपत्र में मिथ्या कथन अंकित किये है व वास्तविक तथ्य छिपाये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया उसमें साबिक खाता के कुल 23 खसरा नम्बरों की भूमि का उल्लेख किया एवं उनके भू-संशोधन के पश्चात जो खसरा नम्बर बनना बताया उससे सम्बन्धित 17 खसरा नम्बर के लिये वाद में अनुतोष चाहा गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने किस आधार पर केवल मात्र 8 खसरा नम्बर की भूमि के भाग के लिये वाद डिक्री किया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं किया है कि शेष खसरा नम्बरों के लिये वादी का वाद क्यों नहीं डिक्री किया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त वाद पत्रावली से परे मनमानें ढंग से विधिक दायित्व के प्रतिकूल विवाद बिन्दु सं. 1 प्रत्यार्थी/वादीगण के पक्ष में अधीनस्थ अधिकारी ने निर्णित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद के दौरान बिना आदेशिका में आदेश अंकित किये तहसीलदार, पुष्कर को पत्र कमांक उखपु/रीडर/2018/801 दिनांक 05-11-2018 जारी उक्त वाद के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। जिस पर तहसीलदार, पुष्कर ने दिनांक 03-12-2018 की रिर्पोट पेश की है, जो किसी भी आधार पर जवाव दावा नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेशिकाओं में त्रुटि पूर्ण अंकन करते हुये प्रकिया की अवेहलना की गई है एवं ऐसी रिपोर्ट के आधार पर जवाब दावा होना नहीं माना जा सकता। वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दिवस को उक्त खसरा नम्बर उनके कब्जे अधिकारों में रहे हो एवं उनका वैध कब्जा उक्त खसरा नम्बरों पर लगातार चला आ रहा हो यह तथ्य साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुये है। जो दस्तावेज प्रदर्श किये गये उनमें आकस्मिक रूप से एक दो प्रविष्टियाँ होने के आधार पर प्रत्यार्थी/वादीगण का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अवैध कब्जे के आधार पर अतिक्रमी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 1 के आधार पर तनकी नम्बर 2 का निर्णय पारित किया है। तनकी सं 2 के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से स्वतंत्र रूप से साक्ष्य व दस्तावेजों का विवेचन व निष्कर्ष नहीं दिया गया है। वाद कारण जो वादी ने दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

25–04–2012 अंकित किया है वह गलत है, जो प्रमाणित नहीं किया गया है, तथा स्वंय वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार संवत् 2017 में ही उक्त रकबा सरकार के नाम दर्ज होने के दस्तावेज पेश किये, पर किस बन्दोबस्त कार्यवाही में परिवर्तन किया गया यह भी प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में तनकी नम्बर 1 पर पारित निर्णय जो न्यायिक प्रकिया एवं न्यायिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है, के आधार पर तनकी नं. 2 पर पारित निर्णय भी निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में प्रत्यार्थी सं. 8 व 9/ प्रतिवादी सं. 1 व 2 के सम्बन्ध में धारा 80 (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है परन्तु उस पर किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं किया गया है। नगर पालिका अधिनियम व अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम के अर्न्तगत भी विधिक सूचनापत्र दिया जाना आज्ञाप्क है, जिसमें छूट का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त वाद प्रस्तुत करते समय खसरा नम्बर जिनके लिये वाद डिक्री किया गया वह सभी नगर पालिका व अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज थे। ऐसी स्थिति में आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना प्रस्तुत वाद इसी आधार पर निरस्त होने योग्य था, जिसे डिक्री कर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08–08–2018 को पत्रावली पेशी में नहीं आने उल्लेख किया है। जिन तथ्यों का प्रमाणिकरण अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद में धारा 212 का जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है उसकी आदेशिका से स्पष्ट होता है क्योंकि दिनांक 08–06–2018 के बाद आगामी पेशी दिनांक 18–12–2020 की अंकित की गई है। इससे यह प्रमाणित है कि वाद की कार्यवाही मनमाने ढंग से की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावश्यक शीघ्रता से विधि विरूद्ध वाद निर्णय का स्पष्ट उदाहरण यह भी है कि उसके समक्ष वाद व धारा 212 की पत्रावली में से वाद की पत्रवली को दिनांक 08–02–2019 को ही निरस्तारित कर दिया गया तथा धारा 212 की पत्रावली को दिनांक 18.12. 2020 को वाद का निस्तारण हो जाने के आधार पर लगभग पौने दो वर्ष बाद निस्तारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में वादी साक्ष्य में शपथ पत्र व जिरह का हवाला दिया है। परंतु पत्रावली पर नकलें मांगे जाने पर वादी साक्ष्य का शपथपत्र, जिरह व दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां संपूर्ण पत्रावली की नकलें चाहने पर भी उपलब्ध नहीं कराई गई है तथा जो जिरह उपलब्ध कराई गई है उस पर भी किसी भी व्यक्ति का नाम पता आदि अंकित नहीं है तथा ना ही उसका व अन्य वादी व प्रतिवादी का साक्ष्य शपथपत्र ही उपलब्ध कराया है। जिसके संबंध में अपीलार्थी अपने तर्क के अधिकारों को सुरक्षित रखता है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 04/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2019 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि ग्राम कानस तहसील पुष्कर अवस्थित साबिक खाता संख्या 10 कुल किता 23 कुल रकबा 21–11–00 बीघा है, भू–संशोधन के पश्चात नवीन खसरा नम्बर 16, 33, 34, 35, 36, 1057, 1090, 1200, 1208, 104, 116, 115, 122, 123, 131, 239 एवं 114 कायम किए गए है जो कि खेवट खतौनी संवत फसली 1349, 1363 से 1365 एवं चौसाला जमाबंदी के इंद्रजात के अनुसार मूल खातेदार भैरू उर्फ भोमा पुत्र हनुता 1/2 हिस्सा एवं अमरा पुत्र पन्ना 1/2 हिस्सा थे जो उनकी संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य में चली आ रही है। भैरू उर्फ भोमा पुत्र हनुता के देहांत के पश्चात वादीया संख्या 1 एवं अमरा पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पन्ना के देहांत के पश्चात वादीगण 2 लगायत 7 उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त होकर चले आ रहे है। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की आराजीयात होने के कारण उस पर विधिक अधिकार निहित करते है तथा वादीगण वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात पर शांतिपूर्ण रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन दौराने बंदोबस्त राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बिना वादीगण व उनके पूर्वज को साक्ष्य सुनने का अवसर दिए पूर्व प्रविष्टि को परिवर्तित करते हुए वादी की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकार की आराजीयात को अविधिक रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर जिलाधीश अजमेर के पत्र क्रमांक/कअ/राजस्व/एफ–12सी/12/26 दिनांक 16.2.2012 को उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 3 नगरपालिका पुष्कर के नाम नियमन किए जाने के आदेश पारित कर दिए जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए खातेदारों की खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती जिससे उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज प्रारम्भत ही शून्य है जिसकी इंद्राज दुरूस्ती की जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन यह तथ्य दृष्टिगत होते हैं कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत खातेदारी अधिकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चाहे गए तथा वादी द्वारा अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 2 तथा 3 में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वादीगण उक्त आराजीयात पर पुश्तैनी कब्जे के आधार पर काबिज काश्त चले आ रहे है इससे यह स्वयं सिद्ध है कि वादीगण विवादित आराजीयात बाबत अतिक्रमी की हैसियत से उक्त राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किए जाने के पश्चात संबंधित तहसीलदार द्वारा अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात उक्त राजस्व वाद बाबत तनकीयात निर्मित कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य निर्मित किए गए वादी द्वारा अपने वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को वादी द्वारा प्रदर्श अंकित नहीं करवाए गए तथा उक्त वादपत्र के साथ समस्त खसरा गिरदावरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात बाबत खसरा गिरदावरी में वादीगण अथवा उनके पूर्वजों का नाम कहीं भी किसी रूप में अंकन नहीं किया गया है जिससे उक्त दस्तावेजों से यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादीगण अथवा उनके पूर्वज वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त रहे है। वादी द्वारा अपने वादपत्र के साथ विधिनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अजमेर में दिनांक 15.6.1958 के प्रभाव में आने के पश्चात प्रथम चौसाला जमबांदी संवत 2012 लगायत 2015 अथवा अन्य कोई चौसाला जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण अथवा उनके पूर्वजों के नाम विधिनुसार राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी में दर्ज रही है अपितु उक्त राजस्व वादपत्र के साथ वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज संख्या 106 संवत 2020 लगायत 2023 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात अंतिम चौसाला जमाबंदी में भी सरकारी/सिवायचक दर्ज रही है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजयीात बाबत दौराने बंदोबस्त विभाग द्वारा अथवा राजस्व कर्मचारियों द्वारा नई जमबांदी मुर्तिब करते समय किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि कारित

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते * अजमेर *

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

नहीं हुई है, अपितु राजस्व कर्मचारियों द्वारा दौराने सेटलमेंट अंतिम चौसाला जमाबंदी सवंत 2020 से 2023 जिसमें की उक्त आराजीयात सरकारी सिवायचक दर्ज रही है के अनुसार ही नई वर्किंग जमबांदी संवत 2041 में विधिनुसार अंतिम जमाबंदी में अंकित राजस्व रिकार्ड की पुनरावर्ती करते हुए उक्त आराजीयात को सरकारी सिवायचक रिकार्ड में दर्ज किया गया है तथा इस प्रकार से यह स्वयं सिद्ध है कि वादग्रस्त आराजीयात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पश्चात ही वादीगण अथवा उनके पूर्वजों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होकर प्रारम्भ से ही सरकारी सिवयचक दर्ज रही है, तथा उक्त आराजीयात विधिनुसार जिला कलक्टर अजमेर के पत्र क्रमांक/क0अ0/राजस्व/एफ–12 सी/12/26 दिनांक 16.2.2012 को उक्त आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या 3 नगर पालिका पुष्कर के नाम विधिनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत प्रतिवादी सख्या 3 को हस्तांतरित की गई इसी प्रकार से वादग्रस्त आराजीयात बाबत राजस्व रिकार्ड संवत 2072 से 2075 में अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम विधिनुसार दर्ज है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अवैध कब्जे के आधार पर अतिक्रमी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान रेस्पोडेंट्स को अवैध कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान की गई है जबकि वर्तमान रेस्पोडेंट्स उक्त भूमि पर मात्र एक अतिक्रमी की हैसियत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों का बिना समुचित अवलोकन किए तथा बिना विधिक मस्तिष्क का प्रयोग किए सरसरी तौर से वादीगण के मौखिक कथनों के आधार पर ही तनकी संख्या 1 का निर्णय रेस्पोडेंट/वादीगण के पक्ष में करते हुए वादग्रस्त आराजीयात बाबत खातेदारी उदघोषणा की आज्ञप्ति वादीगण के पक्ष में किए जाने के आदेश प्रदान कर दिए। जिससे की हाजा न्यायालय किसी भी प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय के उचित प्रतीत नहीं होने से उक्त तनकी बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को निरस्त करना उचित समझते है। तनकी संख्या 2 चूंकि तनकी संख्या 1 का निर्णय रेस्पोडेंट/वादीगण के विरूद्ध तय किए जाने से तनकी संख्या 2 भी रेस्पोडेंट/वादीगण के विरूद्ध तय किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में विधिक त्रुटि कारित किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होती है।

10. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 04/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2019 को निरस्त किए जाने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

21/05/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

;Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।

ब इजलाशः–रामचन्द्र, आर.ए.एस.

नगर पालिका पुष्कर, जरिए अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

बनाम

देवा पुत्र स्व0 श्री भैरू पुत्र स्व0 श्री हनुता, मृतक जरिए वारिसानः–
1/1–नारायण पुत्र स्व0 देवा जाति रावत निवासी ग्राम कानसा तहसील पुष्कर जिला अजमेर व अन्य।

(अपील संख्या 125/2021 ब अदालत उपखण्ड अधिकारी पुष्कर मुबर्खे 08 माह 02 सन् 2019 प्रकरण संख्या 04/2018 बउनवानी श्रीमती धन्नी बनाम सरकार वगैरह)

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188, राज0 काश्त0 अधि.

यह अपील ब तारीख 21 माह 05 सन् 2025 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिर श्री शिशिर विजयवर्गीय अभिभाषक अपीलांट,श्री हसन खान,अभिभाषक रेस्पो संख्या 2 से 6 श्री विकास पाराशर राजयकी अधिवक्ता, रेस्पो संख्या 07,08, रेस्पो संख्या 1/1 से 1/5 व 09, अनुपस्थित,समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं किः–अपील अपीलांटस खारीज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 04/2018 पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2019 को निरस्त किये जाने के आदेश दिए जाते है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक –. रूपये– –. अदा करे, खर्चा मुकदमा मातहत का– – अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 21 माह 05 सन् 2025 को जारी किया गया।

मोहर (न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	–		1.स्टाम्प वकालतनामा	–	
2.स्टाम्प वकालतनामा	–		2.स्टाम्प अर्जी	–	
3.इजराय हुक्मनामा	–		3.इजराय हुक्मनामा	–	
4.वकील फीस बाबत्	–		4.महनताना वकील	–	
मीजान	–		मीजान	–	

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये

Scanned with CamScanner